

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर (म0प्र0)  
//विविध आदेश//

क्रमांक 35 / दो-12-03/2009 अनूपपुर, दिनांक- 19.07.2023

इस रथापना अंतर्गत कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनकी आयु 50 वर्ष या 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख की समीक्षा कर अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में निम्नलिखित छानबीन समिति का गठन किया जाता है:-

छानबीन समिति:-

क्र0	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	समिति में रथान
1	श्री पंकज जायसवाल प्रथम जिला न्यायाधीश अनूपपुर	अध्यक्ष
2	श्री आर.पी.सेवेतिया द्वितीय जिला न्यायाधीश अनूपपुर	वरिष्ठ सदस्य
3	श्री महेन्द्र कुमार उड़के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर	कनिष्ठ सदस्य

(*रेत्न*)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
अनूपपुर (म0प्र0)